

27/05/24

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपरो
पत्रवादीगण के सम्मन पेश करने के
पर्याप्त उत्तर दिये लेकिन पेश नहीं
किये, अतः वादी का वाद Non Complain
(अपानना) में खारिज किया जाता है।
पत्रावली केसल शुमार होकर दाखिल
दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

